

1.	विभाग	मत्स्य विभाग
2.	योजना का नाम –	फिश सीड रियरिंग यूनिट
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	योजना लागत – 7.50 लाख / हेक्टेयर, लाभार्थी अंश – 4.50 लाख अनुदान – 3.00 लाख
4.	पात्रता की अर्हता–	लाभार्थी के पास 1.0 हे0 की निजी भूमि
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	योजनाओं हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह की अवधि में जनपदीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
6.	लिंक वेबसाइट	<a href="http://fisheries.up.nic.in">http://fisheries.up.nic.in</a>
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक, मत्स्य अथवा उप निदेशक, मत्स्य, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।